न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 106/2015 (उदयपुर डिक्री)

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर उदयपुर (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी श्री कन्हैयालाल गुर्जर निवासी 434, टेकरी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी मावली दिनांक 14–06–2013 प्रकरण संख्या 100/2012 रेवेन्यू वाद

———

उपस्थित :–1–श्री पंकज भटनागर अभिभाषक अपीलान्ट्स
2–श्री संदीप श्रीमालीर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय **दिनांक 15–01–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट वादिया द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ओडवाडिया में आराजी नंबर 1795/1774 मीन रकबा 17 बिस्वा (विवादित आराजी) पर उसका 35 वर्षो का कब्जा था तथा उसने इस भूमि को विकसीत किया है। कब्जा बे–रोकटोक है। भूमि के पास वादिया के पति की खातेदारी की भूमि है। वादिया एडवर्स पजेशन से खातेदार हो चुकी है। पटवारी हल्का उसे बेज़ा बेदखल करना चाहता है। अतएव उसे खातेदार घोषित करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा एवं उचित विधिक अनुतोष दिलवाया जाय।

तहसीलदार द्वारा खण्डन का जवाब पेश किया गया प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात दिनांक 21–3–13 को कायम हुई :–

1. **आया मौजा ओडवाडिया पटवार मण्डल गुडली की आराजी नंबर 1795/1774 मीन रकबा 17 बिस्वा भूमि पर वादिया का पिछले 35 वर्षो से काबिज होकर काश्त कर रही है जिससे उक्त भूमि को वादिया अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने की अधिकारी है? ..... वादिया**
2. **आया वादिया वाद वर्णित भूमि पर पिछले 35 वर्षो से निरन्तर काबिज नहीं रही है। अतिक्रमी को बेदखल किया गया है। राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजीयात "बिलानाम" भूमि होने से वादिया के नाम घोषित नहीं की जा सकती।**
3. **अनुतोष**

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी हल्का द्वारा न्यायालय को विवादित भूमि पर वादिया का कब्जा होना बताया। प्रकरण में उपयपक्षों द्वारा मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 14–6–2013 को निर्णय करते हुए वादिया का वाद खातेदारी घोषणा के लिए डिक्री कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 14–6–2013 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26–11–2015 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि यह अपीलाधीन निर्णय उनकी पदस्थापना से पूर्व का होकर दिनांक 25–5–2015 को पदभार ग्रहण करने के बाद संज्ञान में आते ही अन्दर जानकारी अपील प्रस्तुत की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी दिया। अखण्डित शपथ पत्र व न्यायहित में राजकीय प्रकरण में कार्यालयी प्रकियायों के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन क जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है, क्योंकि आगे वर्णित किये जा रहे कारणों से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया ही विधि विरूद्ध है एवं विधि विरूद्ध प्रकरणों में किसी प्रकार की मयाद लागू भी नहीं होती। मयाद कण्डोन की जाती है। आश्चर्यजनक रूप से बहस होने के बाद दिनांक 08–01–2018

को रेस्पोन्डेन्ट द्वारा दफा–5 जाब्ता मयाद का खण्डन का जवाब पेश किया है, जिस पर बाद बहस विचारण की कोई उपादेयता नहीं है। शामिल फाईल की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिसि जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की और से अधिवक्ता श्री संदीप श्रीमाली ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की, वहीं अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि रेस्पोन्डेन्ट स्वयं अपने को उदयपुर का निवासी होना बताता है। राजस्थान काश्तकारी कानून में कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ धारा–63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत खातेदारी अधिकार समाप्त होने के प्रावधान ही है। R.R.T. 2011 पेज 721 के वृहत्त पीठ के निर्णय अनुसार राजस्व भूमि पर लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोन्डेन्ट का वाद 12 वर्षो से अधिक का कब्जा होने व प्रतिकल कब्जे तथा पुराने कब्जे के आधार पर तथा धारा–63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत खातेदारी घोषणा का डिक्री किया है।

प्रकरण में विधिक रूप से अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की नवीनतम न्यायिक निर्देश R.R.T. 2017(2) पेज 1139 द्वारा राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी दिये जाने का प्रावधान ही नहीं होना वर्णित किया है। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपने निर्णय R.R.D. 14–6–2017 पेज 352 अनुसार इस प्रकार के प्रावधान नहीं होना माना है।

स्पष्टतया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल दोनों द्वारा प्रतिकूल कब्ज या दीर्घकालीन कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जा सकने का स्पष्ट विधिक निर्देश है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया अविधिक है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया विधि के प्रावधानों का मिथ्या निर्वचन कर अवधिक खातेदारी घोषणा की है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–6–2013 विधि विरूद्ध होने से अपास्त किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. .....मुकाम ..... उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. .....

1–राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर उदयपुर
2–राजस्थन राज्य जरिये तहसीलदार मावली

बनाम

श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी श्री कन्हैया लाल गुर्जर निवासी 434, टेकरी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

अपील नं0 **106/2015** बनाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** ..... **मावली** .....मुकाम मुर्क्खे.....**14**.....माह.....**06**.....**2013**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**15**..... माह .....**01**..... सन् .....**2018** .....रूबरू .. ..पक्षकारान व हाजरी .....**श्री पंकज भटनागर** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री संदीप श्रीमाली** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–6–2013 विधि विरूद्ध होने से अपास्त किया जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**15**..... माह .....**01**..... **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।